<u>प्रेस नोट</u>

गणेश उत्सव को लेकर समाहर्ता एवं जिलाधीश ने जारी किये दिशा-निर्देश उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत की जायेगी कार्रवाई।

दीव दिनांक 06/09/2021 :- गणेश उत्सव के दौरान दीव जिले में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा संक्रमण के जोखिम से बचाव हेतु आज जिलाधीश, दीव सलोनी राय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार गणेश उत्वस के दौरान दिनांक 10/09/2021 से 20/09/2021 तक प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

जिलाधीश, दीव द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणेश उत्सव के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी और जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर केवल चार फीट लंबी और घर में दो फीट ऊंची गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति दी गई है। भक्तों को दर्शन के लिए एक ही पंक्ति में चलने की अनुमति होगी और मंदिर/ सार्वजनिक स्थानों पर दर्शन के लिए किसी भी समय 15 व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दर्शन के दौरान दर्शनार्थियों की बीच दो फीट की दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव स्थलों पर केवल प्रार्थना-आरती और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक कार्यों की ही अनुमित होगी और ये सभी रस्में रात 09.30 बजे तक पूरी कर लेनी होगी। उक्त अवधि के दौरान अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। पंडाल में बैठने और जुलूस के लिए अलग से गणेश उत्सव/पंडालों की स्थापना नहीं करनी होगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 से अधिक लोगों को मूर्ति को जलाशयों में ले जाने की अनुमति नहीं है। विसर्जन के दौरान साथ में जानेवाले उक्त सभी व्यक्तियों को COVID-19 का टीका लगा होना चाहिए। उत्सव गतिविधियों के दौरान मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र के उपयोग सुनिश्चित करना होगा। पूरे त्योहार की अवधि के दौरान डीजे /लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।